सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकेकडीजिलाअजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 11/2018

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर (राज.)

---प्रार्थी

♠बनाम♠

समस्त ग्रामवासियान **चितिवास** तहसील सावर जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–क

निर्णय

दिनांक 01.06.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प चीतिवास में पेश हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम जीतापुरा तहसील सावर** की जमाबन्दी संख्या **2072 से 2075** के खाता संख्या 1 में दर्ज **खसरा नम्बर 61 रकबा 72.80 है. में से 0.53है. किस्म बीड** भूमि दर्ज है। भूमि जो **सरकारी खाते** में सिवायचक भूमि दर्ज है,।

अतः वादग्रस्त भूमि रास्ते में काम में आ रही है। जिसे राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया । अप्रार्थीगण हाजिर न्यायालय में हुआ तथा अप्रार्थीगण ने मौके पर रास्ते के काम आने वाली आराजी को रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने में सहमति प्रंतिवादी ने दी है।

अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी वाके **ग्राम जीतापुरा तहसील सावर** की जमाबन्दी संख्या **2072 से 2075** के खाता संख्या 1 में दर्ज **खसरा नम्बर 61 रकबा 72.80 है. में से 0.53है. किस्म बीड** ***को रास्ता दर्ज करने हेतु प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सार्वजनिक उपयोग में आने जाने के उपयोग में स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार सावर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।***

आदेश आज दिनांक 01..6.18 को पृथक से लिखा जाकर लोक अदालत न्याय आपके द्वार **केम्प चितीवास** मज में आम में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी